न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 104/2024

उनवान

1. मेगा पुत्र तुलछा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)

---प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरी पुत्र श्री नन्दा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. कमली पुत्री श्री नन्दा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. छोटी पत्नी श्री नन्दा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. छोटी देवी पत्नी काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. भैरू पुत्र श्री नन्दा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. किशन पुत्र श्री नन्दा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. नारायण पुत्र श्री नन्दा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. हीरा पुत्र श्री काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. दिलीप पुत्र श्री काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. राममेश्वर पुत्र काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. राधेश्याम पुत्र काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
12. लीला पुत्री काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
13. विष्णु पुत्री काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
14. सुगना पुत्री काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
15. छोटी पत्नी काना माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
16. मेघा पुत्र श्री बख्तावर माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
17. कमली बाई पुत्री श्री रामा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
18. कांता पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
19. चम्पा पुत्री श्री रामेश्वर माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
20. नानी देवी पत्नी स्व0 श्री रामा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
21. पुष्पा पुत्री श्री रामेश्वर माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
22. शंति देवी पुत्री रामा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
23. हीरा लाल पुत्र श्री रामा माली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
24. कान सिंह पुत्र श्री चेनसिंह नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
25. देबीदास पुत्र श्री गिरधारीदास बैरागी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 26.09.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भूॅ-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **30.06.2024** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 334 रकबा 0.1265है0, आ.न. 342 रकबा 0.1012 है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 24 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 25 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर

Scanned with CamScanner

उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 25 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 25 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य ळें

<u>-::आदेश::-</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के आ.न. 334 रकबा 0.1265है0, आ.न. 342 रकबा 0.1012 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner